

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु

ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्राम पंचायत - पल्टैया

विकास खण्ड - भद्रोही

जनपद- भद्रोही

ग्राम पंचायत में दिनांक 8/7/23 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया -

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक में ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया -

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु. जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)			पदनाम	मोबाइल नम्बर
		लिंग	जाति	उम्र		
1	दिलीप यादव ४० अंधेरा	पु.	OBC	30	अध्यक्ष	9198106899
2	गोपाल मिश्रा	पु.	GEN	51	सचिव	9794975080
3	राजेन्द्र प्रसाद ५० अंधेरायाथ	पु.	OBC	50	कोषाध्यक्ष	9935875787
4	गोरुप राम ५० प्रभोदनप	पु.	GEN	30	सदस्य	2985526339
5	मीरा देवी ५० राजेश	म.	GEN	50	सदस्य	9989739473
6	सावित्री देवी ५० क्ष्याप्रदाता	म.	GEN	55	सदस्य	9161593905
7	दिनेश यादव ३० काजपति	पु.	OBC	35	सदस्य	7398993346
8	क्षपाम कुमारी ५० क्षपामजी	म.	GEN	60	सदस्य	8957482123
9	नगी नादेवी ५० संजप	म.	SC	40	सदस्य	8922869422
10	नीलम देवी ५० जीतबाल	म.	SC	36	सदस्य	9956162677
11	रामप्रसाद गुप्ता ५० अमृतबाल	पु.	OBC	40	सदस्य	9695618905
12	हरि नाथ यादव ५० काणबली	पु.	OBC	63	सदस्य	9167183686
13	सीमा ५० वीरेन्द्र	म.	SC	38	सदस्य	6386988102
14	संजू ५० राजनाथ	म.	SC	40	सदस्य	9935929023

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।



ग्राम विकास अधिकारी
वि० ख० भद्रोही
जनपद- भद्रोही

4— पानी समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं हेतु रख—रखाव/उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें। भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

5— कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं “Sign Off” हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

7— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सें सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

8— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

9— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10— पानी समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने हेतु भी अधिकृत किया गया हैं तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।

11— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु—ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु—ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर—

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि. अगूठौ
1	दिलीप यादव	अध्यक्ष	१५५५८८८१९६०
2	गोपाल भिश्मा	सचिव	
3	राजेंद्र प्रसाद	कोषाध्यक्ष	२१३३५२३३८२५
4	गोरख राघव	सामान्य सदस्य	गोरख
5	भीरा देवी	सामान्य सदस्य	भीरा देवी
6	सावित्री देवी	सामान्य सदस्य	सावित्री देवी
7	दिनेश	सामान्य सदस्य	दिनेश
8	इयाम कुमारी	सामान्य सदस्य	इयाम कुमारी
9	नगीना देवी	सामान्य सदस्य	नगीना
10	रामप्रसाद	सामान्य सदस्य	राम प्रसाद
11	नीलम	सामान्य सदस्य	नीलम
12	हरिनाथ	सामान्य सदस्य	हरिनाथ
13	स्त्रीमा	सामान्य सदस्य	स्त्रीमा
14	संघु	सामान्य सदस्य	संघु



ग्राम विकास अधिकारी
विं खंड भद्रोही
जनपद- भद्रोही